कोर्ट/केस सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-30/2015/805/60-1-15-1/13(25)15

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग **लखनऊ दिनांक 08 जून, 2015**

विषय:- जे0जे0 एक्ट 2000 के अन्तर्गत सचालित संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सेवाप्रदाता के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

जनपद गाजीपुर में महिला कल्याण विभाग के अधीन जे0जे0 एक्ट 2000 के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0	संस्था का नाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त	विवरण
1	प्लेस आफ सेफटी	14	12	02	कुल 02 रिकितयों के सापेक्ष अनुसेवक-1 एवं प्राविधिक परिचर-1 की नियुक्ति की जानी है।

2. मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0 4207/2012 में मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.04.2012 में महिला कल्याण विभाग के अन्तंर्गत विभागीय पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये हैं। रिट याचिका संख्या-3340/2008 पीआईएल अनुप गुप्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.03.2014 के द्वारा भी मा0 न्यायालय द्वारा संरक्षण गृहों/बाल गृहों के पदों को तत्काल भरे जाने के आदेश दिये है।

3. भारत सरकार के पत्र संख्या-डी0ओ0-संख्या-14-3/2012-सी0डब्ल्यू0, दिनांक 3 मार्च, 2014 में जिला स्तरीय समितियों तथा महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत जनपदों में संचालित संस्थाओं में सृजित पदों पर चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से कराये जाने का प्राविधान है। तदक्रम में आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत पदों के चयन हेतु कार्यालय ज्ञाप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-797/60-1-15-1/13(71)/06, दिनांक 04 जून 2015 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठित है।

4. मानकीकरण में आपके जनपद के प्लेस आफ सेफ्टी हेतु समूह 'घ'कुल 14 पद स्वीकृत है। भरे एवं रिक्त पदों की संख्या आपके जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार अंकित की गयी है। पूर्व में शासनादेश संख्या:-4495/60-1-10-1/16(147)/95 दिनांक 17 जनवरी 2011 द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से अंशकालिक स्वच्छकार एवं रसोईया के पदों पर चयन हेतु सहमति दी गयी थी। इस प्रकार का कोई चयन यदि हुआ है तो उसे भी स्वीकृत संख्या के अन्तंर्गत ही माना जायेगा। किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में चयन न किया जाए। चयन के पूर्व इस संख्या को एक बार सत्यापित कर लिया जाए तथा यदि कोई विसंगति है, तो उसे शासन एवं निदेशालय के संज्ञान में भी लाया जाए।

5. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सामान्य नीति के अनुसार उपरिलिखित रिक्त समूह 'घ'के पदों पर मात्र आउटसोर्सिंग के आधार ही चयन किया जाना अपेक्षित है। अत: उपरोक्तानुसार समूह 'घ'के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक चयन की नियमानुसार कार्यवाही संस्था में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिशिचत करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-30/2015/805(1)/60-1-15, तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए यथा आवश्यक अभिलेखों सहित जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिशिचत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।